113

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 635–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–2016 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील खातेगांव जिला देवास, प्रकरण कमांक 6/14–15/अ–13

1–श्रीराम पिता नन्दराम
2–सुनीता पिता श्रीराम
दोनों निवासीगण ग्राम पिपलनेरीया
तहसील खातेगांव जिला देवास

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शक्करबाई पति रामसिंह
निवासी ग्राम पिपलनेरीया
तहसील खातेगांव जिला देवास म0प्र0 द्वारा
मुख्त्यारआम रामनिवास पिता हरीराम
निवासी ग्राम पिपलनेरीया तहसील खातेगांव
जिला देवास

.....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 13/2/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके नाम ग्राम पिपलनेरीया तहसील खातेगांव जिला देवास स्थित भूमि सर्वे नम्बर 66/2 जिस पर आने जाने हेतु रूढिगत रास्ता था जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है अतः रास्ता खुलवाया जाये । अनावेदिका द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 31–12–2016 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध नहीं करने संबंधी आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर तहसीलदार द्वारा विधिवत् जॉच नहीं की गई है और मौके पर प्रश्नाधीन रास्ते के निशान उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की भूमि में से रास्ता देने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के लिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आवेदक की भूमि में से रास्ता देने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि विवादित आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर मौके पर प्रश्नाधीन रास्ते के निशान होना पाया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता देने में न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर उपलब्ध किया जाकर तथा स्थल निरीक्षण कराये जाने के उपरांत अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अभी अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को रास्ता उपलब्ध

कराया गया है, तहसीलदार को प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण करना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पूर्ण अवसर उपलब्ध किया जाकर तथा स्थल निरीक्षण कराये जाने के उपरांत अंतरिम रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार को प्रकरण का अभी अंतिम निराकरण करना है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः तहसीलदार के अंतरिम आदेश को निगरानी में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील खातेगांव जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर